

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 237/2024

अनवान : -

1. प्रेम कुमार पुत्र बलराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. बलराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
2. मोहनलाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
3. प्रमिला पुत्री बलराम पत्नी धर्मवीर जाति जाट निवासी खारिया तहसील रानिया जिला सिरसा।
4. दर्शना पुत्री बलराम पत्नी सुरेन्द्र जाति जाट निवासी खारिया तहसील रानिया जिला सिरसा।
5. मैना पुत्री मोहनलाल पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी कालवाना तहसील तहसील राणिया सिरसा।
6. नरेश कुमार पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
7. जयपाल पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त०

अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री संजय कुमार जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 01/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के खाता संख्या 141/130 की कुल 19.3740 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 3 ता 5 जो कि वादी व प्रतिवादी संख्या 6 व 7 की बहिने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की पुत्री है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व 6 व 7 के पक्ष में परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग रोही मौजा ग्राम देईदास तहसील नोहर के खाता संख्या 141/130 के ख०न० 208/1 की 6.4750 हैक्ट बारानी भूमि, ख०न० 214/2 की 2.2130 हैक्ट, ख०न० 252 की 4.3630 हैक्ट, ख०न० 67/4 की 6.3230 हैक्ट कुल 19.3740 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा यानि 6.458 हैक्ट भूमि वादी अकेला 2.024 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार रहेगा एवं शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी तथा इसी खाता की कुल 19.3740 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 के

नाम दर्ज 1/3 हिस्सा यानि 6.458 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या अकेला 2.024 हैक्ट भूमि व प्रतिवादी संख्या 7 अकेला 2.0240 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार रहेगा। जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 8 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा दर्ईदास तहसील नोहर के खाता संख्या 141/130 की कुल 19.3740 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

al

उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कोई ऐतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ग्राम देईदास तहसील नोहर के खाता संख्या 141/130 की कुल 19.3740 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा यानि 6.458 हैक्ट भूमि में से 2.024 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी तथा इसी खाता की कुल 19.3740 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा यानि 6.458 हैक्ट भूमि में से 2.024 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 6 को व 2.0240 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/05/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 237/2024

अनवान : -

1. प्रेम कुमार पुत्र बलराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. बलराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
2. मोहनलाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
3. प्रमिला पुत्री बलराम पत्नी धर्मवीर जाति जाट निवासी खारिया तहसील रानिया जिला सिरसा।
4. दर्शना पुत्री बलराम पत्नी सुरेन्द्र जाति जाट निवासी खारिया तहसील रानिया जिला सिरसा।
5. मैना पुत्री मोहनलाल पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी कालवाना तहसील तहसील राणिया सिरसा।
6. नरेश कुमार पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
7. जयपाल पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 237 सन 2024 निर्णय दिनांक 01/05/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ग्राम देईदास तहसील नोहर के खाता संख्या 141/130 की कुल 19.3740 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा यानि 6.458 हैक्ट भूमि में से 2.024 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी तथा इसी खाता की कुल 19.3740 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा यानि 6.458 हैक्ट भूमि में से 2.0240 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 6 को व 2.0240-हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/05/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर